

सस्ते वित्त की आपूर्ति करना सरकार की प्राथमिकता: रवींद्र सुधालकर

शोह टाइम्स संबाददाता

मेरठ। यह कोई परम रहस्य नहीं है कि भारत की बढ़ती आबादी को भी रहने के लिए एक आवास की जरूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खरीदने योग्य घरों की संख्या वर्ष 2022 तक 100 मिलियन के जितनी ऊंची हो सकती है। यद्यपि, मांग और आपूर्ति कानून के विपरीत, इस बढ़ती हुई मांग ने वास्तव में आवास इकाइयों की बिक्री को भारी मात्रा में बढ़ाया तो नहीं है। उच्च अचल संपत्ति की लागत, सूझबूझ से पारदर्शिता की कमी, अस्पष्ट और विलंबित समयसीमा और खराब सेवा ने खरीदारों को बाजार से दूर कर दिया है। वास्तविक रूप से इन अंतरालों को समझते हुए, खरीदने योग्य घरों की जरूरत और आवास इकाइयों की मांग और आपूर्ति दोनों के बीच की अंतरालों को जोड़ने के इरादे से और सस्ती वित्त की आपूर्ति करना ही, सरकार के साथ एक प्रमुख प्राथमिकता रही है।

सरकार की जुड़वां-चालें जैसे, प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) के तहत सब्सिडी



वाले होम लोन देने की योजना。(अब एमआईजी को भी कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है) और रियल एस्टेट विनियमन अधिनियम (आरईआरए) की शुरूआत ने एजेंडा के शीर्ष पर केवल खरीदने योग्य घरों को ही नहीं लगाया है, बल्कि घर-खरीदारों के काम को भी आसान बना दिया है। लोग-केन्द्रता और नीति के लिए यही सुधारवादी दृष्टिकोण ही जेब के अनुकूल (पाकिट-फ्रेन्डली) घरों और पूंजी के लिए मार्ग तैयार कर रही है जो डेलिवर करने की जवाबदे ही की शुरूआत करेगी और उसके परिणामस्वरूप संपत्ति के बाजार में

निवेशित रहने के लिए घर के खरीदारों के विश्वास को भी प्रशस्त करेगी। दरअसल, आजकल कें जैसा कोई बेहतर समय नहीं है जिसमें 12-साल के लिए कम् गिरवी दरें और सरकारी सब्सिडी है, जो सर्वश्रेष्ठ खरीदने के सामर्थ्य परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। घर के करोड़ों भावी खरीदारों के लिए, इसका अर्थ सस्ता वित्त होता है और आखिरकार अपने घर के मालिक होने का मौका होता है। घर के मालिक होने की लागत उच्च होने के नाते और हमारे जैसे देशों में एक घर पर निवेश उच्च भावनात्मक उत्पाद होने के नाते, आसान वित्त तक की पहुंच, खरीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक निश्चित-रूप से आकर्षित करने वाला तरीका है। सब कुछ कहने के बाद, अभी तक, बिना आकर्षक उपहारों के, घर का वित्त भी बहुत कम ही हासिल कर सका है। अमेरिका में 52 प्रतिशत की तुलना में, भारत में जीडीपी में गिरवी योगदान केवल 9 प्रतिशत है। पीएमएवाय के तहत ब्याज सब्सिडी के जरिए लोगों

को इक्विटी समर्थन देने और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) के लिए अन्य अनुकूल विनियामक समर्थन प्रदान करने के लिए नीतियां अब उपलब्ध हैं, जिसमें वित्तीय और बीमा क्षेत्रों में निवेश के लिए सेक्टर-वाइज कैप के साथ एएरेटेड एचएफसीयों के अलावा ऋण म्यूचुअल फंड को एचएफसी में अपनी संपत्ति का 40 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति होगी। इससे भी अधिक तो यह है कि, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) समाज के कमजोर वर्ग में ऋण का विस्तार करने के लिए पुनर्वित्त का एक स्थिर स्रोत प्रदान कर रहा है ऐसे ही निम्न और मध्यम आय वर्ग के खरीदारों को सपोर्ट भी कर रहा है। ये योजनाएं अब एचएफसी को नियामक से निधि की कम लागत तक पहुंचने की अनुमति देती हैं और फिर इसे एक निश्चित फैलाव में उधार देते हैं, जो पहले के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.5 प्रतिशत हो गया है। इस प्रकार एचएफसी और बैंकों को इस खंड को लाभप्रद रूप से पूरा करने में मदद करता है।